Helpline 1064

94135-02834

# कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

## प्रेस नोट

- **अलवर में जिला आबकारी अधिकारी (आर.ए.एस.) 3 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *01 मई, बुधवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की अलवर–द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये **सुरेश कुमार अहीर आर.ए.एस., आबकारी अधिकारी, जिला अलवर** को परिवादी से **3 लाख रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक)** ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी लाईसेंसशुदा शराब की दुकान के गोदाम की लोकेशन पास करने की एवज में आरोपी सुरेश कुमार अहीर आर.ए.एस., जिला आबकारी अधिकारी, जिला अलवर द्वारा **6 लाख रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी अलवर–द्वितीय इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी **सुरेश कुमार अहीर आर.ए.एस., जिला आबकारी अधिकारी, जिला अलवर** को परिवादी से **3 लाख रूपये** की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

**एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो** द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**